

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक संख्या 73-52/2006/20-3,

भोपाल, दिनांक 28-06-07

प्रति,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
प्रीत बिहार, नई दिल्ली ।

विषय:-

अशा सकीय संस्था - टेंट माइकल स्कूल किरातपुरा, जि. - मुम्पे ५५५००५  
को सी.बी.एस.ई./आई.सी.स्ट.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत ।

शाज्य शासन द्वारा अशा सकीय संस्था - टेंट माइकल स्कूल किरातपुरा ,  
जि. - मुम्पे ५५५००५ - - - - - को सी.बी.एस.ई./आई.सी.  
एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर  
दिया जाता है:-

१. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ  
प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु  
संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षण मण्डल के  
प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाए ।

२१ विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक  
एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों का गतिविधियों के  
लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकता-  
नुसार उपलब्ध करायेंगे । इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया  
जाए ।

३१ इन संस्थाओं के तंचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने  
पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण /  
जांच करने का अधिकार होगा ।

निर्दर्शन २५८

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहायोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।
7. अशासकीय शिर्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकारित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।
8. उत्प्राव्रत्ति छात्राओं को सालों भी में लगने वाले पुस्तकों एवं लेहन सामग्री खुलों बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान परिवेष्ट - भी से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देवें गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्रिनं शमन चंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने वाले दाम्पत्ति निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी रेसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू रल. दी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा ।

निरीतर. ३५८

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रदेश देने से इनकार नहीं करेगी। इस संघर्ष में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्राज्यिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

१. स. स. पगारे  
अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सफ 73 /2006/20-3, भोपाल, दिनांक 28-06-07  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- ~~मुख्यमंत्री~~ ~~मुख्यमंत्री~~ प्र० प०
3. प्राचार्य, अशासकीय शिक्षण संस्था- ~~मुख्यमंत्री~~ सेंट माइकल स्कूल किरातपुरा,  
जि. ~~मुख्यमंत्री~~ प्र० प०
4. आईर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग